भाग 1

क

न्यायालय – अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1, किशनगढ़, जिला अजमेर	
पीठासीन अधिकारी	: जितेन्द्र रैया, आर.जे.एस.
निर्णय दिनांक	: 09.03.2026
सीआईएस संख्या	: 2752/2016
फौजदारी नियमित प्रकरण संख्या	: 1172/2016
अभियोग संख्या	: 306/2015
पुलिस थाना	: मदनगंज, जिला अजमेर

परिवादी	राजस्थान राज्य
प्रस्तुत द्वारा	अभियोजन अधिकारी
अभियुक्तगण	1. शंकर लाल पुत्र श्री प्रभाती लाल यादव, आयु– तत्समय 41 वर्ष, निवासी– अहीरों की ढाणी, आर.के. लिंक रोड, मदनगंज, 2. श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री शंकर, आयु– तत्समय 40 वर्ष, निवासी– अहीरों की ढाणी, आर.के. लिंक रोड, मदनगंज
अधिवक्ता अभियुक्तगण	1. अधिवक्ता श्री डी.डी. वर्मा जी, 2. अधिवक्ता श्री जटाशंकर तिवारी

ख

घटना की दिनांक	दिनांक 12–09–2014, व इसके एक माह पश्चात तथा दिनांक 12–09–2015
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	09–10–2015
आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक	15–09–2016
आरोप सुनाये जाने की दिनांक	15–09–2016
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक	05–11–2016
निर्णय सुरक्षित रखे जाने की दिनांक	07–03–2026

Authenticated document

निर्णय सुनाए जाने की दिनांक	09–03–2026
सजा आदेश यदि हो तो	– – निल – –

ग

अभियुक्तगण की सूचना

क्रम	**नाम**	**गिरफ्तारी की दिनांक**	**जमानत की दिनांक**	**अपराध धारा**	**दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध**	**अधिरोपित सजा**	**धारा 428 दंप्रसं में समायोजन समयावधि**
1	शंकर लाल	– निल –	– निल –	323, 341, 500, 504 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	– निल –	– निल–
2	श्रीमती लाली देवी	– निल –	– निल –		दोषमुक्त	– निल –	–निल –

भाग 2

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय गवाह सूची

कः अभियोजन गवाह

क्रम	**नाम**	**साक्ष्य प्रकृति**
पी.डब्ल्यू– 1	अनिता वर्मा	परिवादिया
पी.डब्ल्यू– 2	घासीराम	मुख्य गवाह
पी.डब्ल्यू– 3	धर्म चौहान	मुख्य गवाह
पी.डब्ल्यू– 4	मुरलीधर	मुख्य गवाह
पी.डब्ल्यू– 5	यशपाल वर्मा	मुख्य गवाह
पी.डब्ल्यू– 6	गोपाल सिंह	साक्षी– नक्शा मौका घटनास्थल
पी.डब्ल्यू– 7	मदनलाल मेघवाल	मुख्य गवाह
पी.डब्ल्यू– 8	रतनलाल	मुख्य गवाह
पी.डब्ल्यू– 9	जगदीश सिंह	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू– 10	शीला देवी	मुख्य गवाह
पी.डब्ल्यू– 11	नरेन्द्र	मुख्य गवाह
पी.डब्ल्यू– 12	हरिराम	साक्षी– तहरीर रिपोर्ट व एफ.आई.आर.

Authenticated document

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज सूची
खः अभियोजन दस्तावेज सूची

क्रम	प्रदर्श	विवरण	संबंधित गवाह
1	पी – 1	पुलिस कथन श्री घासीराम	पी.डब्ल्यू– 2, 9
2	पी – 2	पुलिस कथन श्री मुरलीधर वर्मा	पी.डब्ल्यू– 4,
3	पी – 3	पुलिस कथन श्री यशपाल	पी.डब्ल्यू– 5, 9
4	पी– 4	फर्द निरीक्षण घटना स्थल नक्शा मौका	पी.डब्ल्यू– 1, 6, 9
5	पी– 5	पुलिस कथन श्री मदनलाल	पी.डब्ल्यू– 7, 9
6	पी– 6	पुलिस कथन रतनलाल	पी.डब्ल्यू– 8, 9
7	पी– 7	पीडिता के कथन अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं	पी.डब्ल्यू– 1, 9
8	पी– 7	पुलिस कथन नरेन्द्र प्रदर्श दिनांकित 30.01.2026	पी.डब्ल्यू– 9, 11
9	पी–8	तहरीरी रिपोर्ट	पी.डब्ल्यू– 1, 12
10	पी– 9	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी.डब्ल्यू– 12

अभियोजन/अभियुक्त/न्यायालय द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज सूची
खः अभियुक्त दस्तावेज सूची

क्रम	प्रदर्श	विवरण	संबंधित गवाह
1	डी– 1	पुलिस कथन शीला देवी	पी.डब्ल्यू– 10
1	डी– 1	पुलिस कथन धर्म चौहान	पी.डब्ल्यू– 3

मुद्दमल की सूची

क्रम संख्या	प्रदर्श	विवरण	संबंधित गवाह
1	–निल–	– निल–	–निल–

Authenticated document

–:: निर्णय ::–

दिनांकः– 09.03.2026

1. हस्तगत प्रकरण पुलिस थाना मदनगंज, जिला– अजमेर की ओर से दिनांक 15–09–2016 को अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने से प्रकरण नियमित फौजदारी में दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादीया द्वारा एक तहरीर रिपोर्ट दिनांकित 24–09–2015 इस आशय से दर्ज करायी गयी कि वह शिक्षित लड़की है। उनके घर के पीछे आर.के. लिंक रोड पर कुमकुम होटल है जिसका मालिक अभियुक्त शंकर है। जिसके तथा भाइयों के घर होटल के सामने हैं और बीच में आने जाने के लिये आर.के. लिंक रोड ही है। गत चार पांच वर्षों से अभियुक्त व उसकी पत्नी लाली देवी व परिवारजन उसे परेशान कर रहे हैं। पूर्व में उनके परिवारों का आना जाना था जिसका लाभ उठाकर शंकर भी घर आने जाने लगा और अपने दोस्तों व अन्य को उसके बारे में अनाब शनाब बोलने लगा कि वह उसकी दोस्त है। असलीयत पता लगने पर उन्होंने अभियुक्त व पूरे परिवार से किनारा कर लिया। परंतु अभियुक्त जहां भी जाती पीछा करने लगा, रास्ते में रोकना, गाली देना, मारपीट करना व जासूसी करवाने लगा जबकि वह स्वयं 45–50 वर्ष का है, उसके तीन संतानें हैं। मीठा बोलकर आर्थिक सहायता करके, धर्म का रिश्ता बनाकर घर तक पहुंचता है और फिर घर की बहू बेटियों पर गंदी नजर रखता है। पहले ही अन्य प्रकरण में एक महिला द्वारा दर्ज रिपोर्ट में सुने अनुसार उसे बंद हवालात भी रखा गया है, उसके विरूद्ध एससी/एसटी अधिनियम में मुकदमा दर्ज है और जमीनी विवाद में भी वह निरूद्ध रह चुका है। दिनांक 22.08.2012 को उसकी बुआ का लड़का धर्म चैहान अजमेर से अरांई कार्यस्थल पर छोडकर अजमेर लौट रहा था तो चौसला के पास अभियुक्त ने अपने भाई कैलाश व मित्र राजेश जैन व मुकेश शर्मा के साथ उसे रोका व मारपीट की, जाति सूचक गालियां दी और परिवादीया को भी गालियां दी। तब भी कैलाश ने उन्हें धमकी दी थी क्योंकि धर्म को उसकी असलीयत पता थी परंतु परिवादीया की लाज रखने से रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी। दो तीन माह बाद धर्म और परिवादीया का पीछा करते हुए गेगल टोल पर दुर्घटना कर जान से मारने की कोशिश की, कार आडे लगाकर गाली–गलौच की। सन् 1990 के आस

Authenticated document

पास परिवादीया के पिता द्वारा अभियुक्त परिवार की आर्थिक सहायता की गयी थी। वर्ष 2006–2007 में वह सेवा निवृत्त होकर किशनगढ़ लौटा और 7–8 वर्षों में गलत धंधों से करोड़पति बन गया, होटल में समस्त अनैतिक कार्य होते हैं। परिवादीया के कार्य संस्था को ढाई लाख रूपये की रिश्वत देकर नौकरी दिलाने की बातें, परिवादीया पर 5 लाख–35 लाख खर्च करने की बातें अभियुक्त ने रिश्तेदारों व दोस्तों को कही। अभियुक्त व भाई कैलाश ने धन के लिये प्रताडित किया व फोन किया। परिवादीया के शिक्षण संस्थान के मालिक सुनील जोशी को तथा परिवादीया के स्टाफ को भी जानें क्या क्या कहा, जासूसी करवाता था उक्त रोड से गुजरने पर इस अभियुक्त की पत्नी व अभियुक्त के द्वारा झगडा किया जाता, जाति सूचक शब्द कहे जाते। कई बार उसका रास्ता रोकर गाली–गलौच व हाथा पाई तक की गयी और डंडों से हमला भी किया गया। इसकी पत्नी परिवादीया की जान लेने पर उतारू है। अप्रत्यक्ष रूप से परिवादीया के घर पर कई लोगों को भेजकर परिवादीया व परिवार वालों के साथ पूर्व की तरह संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। पुलिस में रिपोर्ट करने पर अभियुक्त अपनी पत्नी को आगे कर देता है और उसके मानसिक संतुलन ठीक न होने के झूठे आरोप लगा देता है। परिवादीया के पति को भी फोन पर इसने भड़काया जिससे फरवरी 2012 में उसका तलाक हुआ और तभी से अभियुक्त पर उसकी गंदी नजर है। परिवादीया की दूसरी बहन के पति को भी जयपुर लैंड लाइन नम्बर से अज्ञात व्यक्ति बनकर भड़काया, रिपोर्ट करने पर नम्बर जयपुर के किसी विनोद यादव के निकले। अभियुक्त की पांच बार अलग अलग थानों में शिकायत की और उसके अतिरिक्त भी कुल एक दर्जन शिकायतें की गयी हैं हर बार मामला रफा दफा कर दिया जाता है और अभियुक्त कहता है कि पुलिस उसकी जेब में है। सितंबर 2013 में किशनगढ़ थाना सिलोरा में रिपोर्ट दर्ज करायी। जब इसने अरांई रोड पर परिवादीया का पीछा करके उसे हाथापाई कर कार में बैठाने की कोशिश की। फिर गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी तब दिनांक 06.04.2014 को अभियुक्त की पत्नी लाली देवी ने घर आकर हाथापाई की। जिस मामले समझौता हो गया। घटना के पांच दिन बाद अभियुक्त ने फिर से पीछा किया और मिलने के लिये फिर से जबरदस्ती करने लगा तब 11.04.2014 को किशनगढ़ थाने सिलोरा में शिकायत दर्ज करायी तो थानाधिकारी ने उन्हें थाने पर बुलाकर डांटा और

अभियुक्त की माता ने पुराने संबंधों का हवाला देकर राजीनामा कराया। उक्त थानाधिकारी के स्थानांतरण होने तक अभियुक्त की हिम्मत फिर नहीं हुई परंतु थानाधिकारी के स्थानांतरण होने पर वहीं हरकतें प्रारंभ कर दी। *12.09.2014* को वह जब अपने भतीजे को ट्यूशन ले जा रही थी तब इसकी पत्नी ने रास्ता रोका और डंडे मारकर गाडी तोड दी, मारपीट की। जब मदनगंज थाने में रिपोर्ट लिखवाई तो थानाधिकारी, पूर्व पार्षद सुरेश यादव, रघुनाथ जाट ने परिवादीया को ही रास्ता बदलने को कहा और कोई कार्यवाही नहीं की। *एक माह बाद ही* लाली देवी ने फिर रास्ता रोककर मारपीट की। इन लोगों को थाने पर बुलाकर थानाधिकारी ने डांट फटकार की परंतु जब पुख्ता कार्यवाही करने को कहा तो थानाधिकारी ने उन्हें ही डराया कि कार्यवाही दोनों पर होगी। *12.09.2015* को यही घटना शंकर यादव के साथ शामिल होकर दोहराई तो बार बार चक्कर काटने फोन करने के बाद 15.09.2015 को रिपोर्ट को परिवाद में डालकर थानाधिकारी द्वारा राजीनामा की ही पेशकश की गयी और आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। परिवादीया अभियुक्त व न्याय प्रणाली से परेशान है जबकि अभियुक्त घर से उठाने व गायब कराने की धमकी देता है। उक्त तथ्यों के साथ यह तहरीर रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक अजमेर को प्रेषित की गयी है जो जरिये डाक पुलिस थाना मदनगंज में दिनांक 09.10.2015 को प्राप्त होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंतर्गत धारा 341, 323, 500, 504, 354 डी, आईपीसी व धारा 3(1),(x),(xi) एससी/एसटी एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान वृत्ताधिकारी वृत्त किशनगढ़ द्वारा किया गया।

3. दौराने अनुसंधान यह पाया गया कि शंकर यादव, लाली देवी और परिवादिया के परिवार के सामाजिक संबंध रहे। शंकर यादव द्वारा परिवादीया व उसकी बहन की शादी कुमकुम गार्डन में की गयी तब से ही किराया व अभियुक्त द्वारा परिवादीया के पिता को शादी में दिये गये उपहार के बाबत दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इसी बात को लेकर अभियुक्त की पत्नी लाली देवी व परिवादीया के मध्य होटल के सामने बकाया रूपये लौटाने की बात को लेकर विवाद हुआ जिस दौरान अभियुक्त भी आया और लालीदेवी द्वारा परिवादीया का रास्ता रोककर परिवादीया के साथ मारपीट करना व अभियुक्त शंकर द्वारा परिवादीया केा मां बहन की गालियां देना प्रमाणित माना गया। हालांकि जाति सूचक गाली व लज्जा भंग करने संबंधी तथ्य प्रमाणित नहीं

हुए और इस प्रकार बाद अनुसंधान अभियुक्तगण शंकरलाल व उसकी पत्नी लालीदेवी के विरूद्ध धारा 323, 341, 500, 504 आईपीसी में चार्ज शीट प्रस्तुत की गयी।

4. बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 500, 504 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत हुआ तथा न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओ के तहत प्रंसज्ञान लिया गया।

5. अभियुक्तगण को उक्त धाराओ 323, 341, 500, 504 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप मौखिक रूप से आरोप सारांश सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने उपरोक्त आरोपों को सुन–समझकर आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही, जिस पर साक्ष्य अभियोजन में साक्ष्य प्रारंभ की गयी।

6. दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त भाग 2 के अनुसार मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य में उपरोक्त भाग 2 के अनुरूप ही दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गयी, जिसका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित कराते समय सहवन एवं त्रुटि रही, जिसे न्यायिक विवेकानुसार ही पढ़ा गया।

7. तत्पश्चात् अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत परीक्षित किया गया तो अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना बताया और कथन किया कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण ने साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा।

8. उभय पक्षों को बहस अन्तिम के स्तर पर सुना गया। अभियोजन का तर्क रहा कि पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य सामग्री से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित होते है। ऐसे में अभियुक्तगण को आरोपित अपराध के तहत दोषसिद्ध घोषित किया जाकर दण्डित किया जावे। अभियोजन द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत भी प्रस्तुत किये गये, जिनका ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

   1. सैयद अहमद बनाम स्टेट आफ कर्नाटक 2012(3) क्राईम 202 एससी

2. भारभाडा भोगिन भाई हिरजी भाई बनाम स्टेट आफ गुजरात ए.आई.आर 1983 एस.सी 753

9. वहीं दूसरी ओर अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा बहस के दौरान यह जाहिर किया गया है कि प्रकरण के मुख्य गवाह न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए है। अभियोजन के गवाहान के कथनों में परस्पर विरोधाभास है तथा वे अभियोजन कहानी की पूर्णतया ताईद नहीं करते है तथा अभियुक्तगण को पहचानने से स्पष्ट इंकार करते है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से प्रमाणित नहीं होते है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाए।

10. पत्रावली के न्यायपूर्ण निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि :–

1. **''क्या अभियुक्ता लाली देवी ने दिनांक 12–09–2014 को परिवादिया जब अपनी भतीजे के साथ ट्यूशन जा रही थी, तो परिवादिया का रास्ता रोका तथा एक माह पश्चात पुनः उसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट कारित की एवं दिनांक 12–09–2015 को सह अभियुक्त शंकर यादव के साथ मिलकर परिवादिया के साथ स्वेच्छया मारपीट कर उसे उपहतियां कारित की तथा परिवादिया को गाली–गलौच करते हुए उसकी ख्याति को अपमानित करने व उसे सआशय अपमानित करने का कृत्य किया, जिससे लोक शांति भंग हुई?"**

2. **यदि हां, तो उपर्युक्त का उचित दण्ड क्या होगा?**

11. उपरोक्त विचारणीय बिंदु के प्रमाणीकरण के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों में से गवाह पी.डब्ल्यू– 1 अनिता वर्मा ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर सशपथ अपने कथनों में सशपथ कथन किये है कि वह मदनेश गौशाला रोड सांवतसर में अपने मम्मी पापा के साथ रहती है तथा वह एम.ए.बी.एड. तक तक पढ़ी लिखी हूँ। उनके घर से आने–जाने के रास्ते में आर. के. लिंक रोड़ पर कुमकुम होटल स्थित है जिसके मालिक शंकरलाल है व उनके होटल के सामने ही उनका घर बना हुआ है। पहले शंकर यादव वगैरह उनके घर पर आते जाते रहते थे। उनका काफी समय तक उनके घर पर आना जाना रहा था। जब शंकर याद व

सर्विस करते थे तो वह उनके घर पर उनके बच्चों को ट्युशन पढ़ाने के लिए जाया करती थी। उस समय वह भी प्राइवेट पढ़ाई करती थी। उसके बाद शंकर यादव फौज से वी.आर.एस. लेकर घर आ गये थे। तब शंकर यादव उनके घर आते–जाते थे, तब उनकी उससे बातचीत होती थी। जब शंकर यादव का होटल बन रहा थ, तब आने–जाने से उनसे जान–पहचान ज्यादा हो गयी थी, तब एक बार शंकर यादव ने उसे अपनी होटल पर बुलाया था, जो उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के संबंध में बुलाया था। उस दिन उसने उनके साथ चावल व पुलाव खाया था व उनके साथ कोल्डड्रिंक भी पिया थाा, जिसमें कुछ मिला हुआ था। तब उसने कोल्ड्र–ड्रिक पिलाई तो उसे वो अजीब सी लगी तो उसने अभियुक्त को उसे पीने से मना भी किया था। तब उसने कहा कि तम हमेशा फ्रूटी वगैरह पीती हो इसलिये तुम्हे इसका स्वाद कडवा सा लग रहा होगा। उसके बाद उसने, उसके साथ गलत कार्य किया, जब उसने मना किया तो उसने कहा कि दोस्ती में इतना तो चलता है। उक्त बात वर्ष 2011 से करीब पांच–छः साल पहले की है फिर किा कि करीब तीन साल पहले की है। जब उसने उसके साथ ऐसा किया तो वह उसे मिलने से मना करने लगी, उसके बाद वर्ष 2011 में उसका विवाह हो गया, तब भी उसे फोन पर परेशान किया गया। जब वह बात करने से मना करती तो वह उसे कहता कि उसने उसकी एक क्लिपिंग बना रखी है, जो वह नेट पर डाल देगा व उसके घर वालों को भेज देगा। उसने क्लिपिंग शंकर यादव के फोन मे एक बार देखी थी, जिसके जरिये वह उसे ब्लैकमेल करता था व कहता था कि उक्त क्लिपिंग यदि उसके ससुराल वालों को बता देगा तो उसका रिश्ता वैसे ही टूट जायेगा एवं उसने उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। आए दिन उसके साथ उक्त बातें होती थी इसलिये वह बुरी तरह से मानसिक रूप से परेशान हो गयी थी, तब उसका ससुराल भी छूट गया व वर्ष 2012 में उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। उसके भाई का नाम यशपाल है, जिसकों भी शंकर यादव ड्रिंक्स वगैरह पिलाते है, मतलब शराब पिलाते है। उसके भाई को शंकर यादव के द्वारा उपरोक्त बातें कहीं गयी। उसके बाद जुलाई 2012 में उसने एक एन.जी.ओ. अराई में ज्वाइन किया था। तब वह वहां पर एक किराये के मकान में रहती थी, वहां पर भी शंकर यादव जबरदस्ती आता व मकान मालिक को कहता कि इसका ध्यान रखना कि यह कब आती–जाती है। आने–जाने के दौरान शंकर यादव उसका रास्ता

भी रोक लेता था व उसके साथ गाल–गलौच करता था, जब वे कहती कि उसके रूम पर क्यों आता है तो वह उसे धमकाता कि वहां पर आकर बखेड़ा खडा कर देगा व अन्य लोगों को कहता था कि वह उसकी दोस्त है, व उसने उसे किराये के मकान में रखा है व उसकों खर्चा देता है। शंकर यादव आए दिन उसके साथ इस प्रकार से करता व संबंध बनाने के प्रयास करता, उसे फोन पर गाली–गलौच करता, उसके मना करने पर उसे धमकाता, उसके ज्यादा परेशान करने से उसने कॉल रिकार्डिंग भी की थी, जिसे डी.वाई.एस.पी. को भी सुनाया था, तब उनके द्वारा कहा गया कि कोर्ट में कथनों के समय पेश कर देना। उसने एक बार रामचंद नेहरा के समक्ष पहले भी उसकी शिकायत की थी, तब उसने शंकर यादव को थाने पर बुलाया था व उसको समझाया था तथा उसको कहा कि आईंदा उसे परेशान किया तो, जेल में बंद कर दूंगा। उसके करीब तीन–चार महीने बाद तक उसने परेशान नहीं किया, जब उसका तबादला हो गया तो उसे वापस परेशान करने लगा व कहने लगा कि अब कहा जाओगी, उसका तो तबादला हो गया। उसका भतीजा दीपाशं को वह ट्यूशन छोडने व लाने जाती थी, दिनांक 12.09.2015 को वह अपने भतीजे को लेकर वापस आ रही थी, तो होटल के पास शंकर यादव ने उसे आडे फिरकर रोक लिया व उसके साथ गाली–गलौच की, उस समय उसकी पत्नी लाली देवी भी वहां पर आ गयी थी, तथा उसने भी उसके गाली–गलौच की। तब वहां शंकर यादव का भाई कैलाश यादव आ गया, जिसने उसे बचाया था व शंकर यादव की पत्नी को पकड कर ले गया था। शंकर यादव ने उसे यह भी कहा कि तू केस करके देख ले, चमारो की कौन सुनता है उसका कुछ नहीं होगा। इस घटना से पहले वर्ष 2014 शाम के करीब 06.30–06.45 के आसपास में अपने भतीजे को लेकर आ रही थी, तब शंकर यादव की पत्नी लाली देवी ने उसे रास्ते में रोक लिया ओर उसके साथ डंडे से मारपीट की व मेरी स्कूटी की लाइट वगैरह उसने तोड़ दी थी उसके चोट भी आई थी जिसका मेडीकल पुलिस करवाया था। जिसकी शिकायत उसने पुलिस को की थी। उस समय भी शंकर यादव के परिवार के लोगो ने उसका मोबाईल छीन लिया था। शंकर यादव उसके बारे में लोगो को कहता था कि उसने उसे अपनी रखैल बना रखा है ओर उसका खर्चा भी वही वहन करता है, वह उसकी फोन की कॉल डिटेल भी निकलवा लेता था, वह जिन लोगों से बातचीत करती थी उनको भी शंकर यादव

धमकाता था कि वह तो उसकी रखैल है, उससे बात की लो उसे जान से मार देगा। शंकर यादव उसे यह कहता था कि अब तो तेरा ससुराल भी छूट गया है वह उसे दो कमरों का मकान बनवा कर दे देगा व उसे अपने पास रख लेगा। नहीं मानने पर धमकियां देता था। वर्ष 2012 के अगस्त के महीने की बात है, उस समय तथा नहीं मानने पर धमकिया देंता था। 2012 के अगस्त महीने की बात है उस समय उसका भाई कजिन धर्म चौहान उसे अंराई छोडने गया था, तो उसे छोडकर वह वापस आ रहा था, तो उसकी गाडी भी रोक ली तथा उसके साथ मारपीट की, तब उसके भाई को लेकर कुछ लोग वापस अंराई आ गये। मौके पर मुकेश नाम के व्यक्ति को भी उन्होंने बुलाया व उसे भी फोन करे काफी अंटशंट बोला व उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी व कहा कि तू इसको छोडने के लिए क्यों आया, तब उसने अपने घर पर फोन किया, तब उसकी मम्मी व भाई यशपाल आया व उक्त लोगों से उसका पीछा छुड़ाया था, जो रिकार्डिंग उसने शंकर यादव के फोन की की थी, वहो भी अब उसके पास मैमोरी में सुरक्षित है, उक्त रिकार्डिंग उसने डी.वाई.एस.पी. को देना चाहा, परंतु उसने नहीं ली व हमेशा टालते रहे।

12. उपरोक्त गवाह के कथन डेफर होने के बाद आगामी कथनों के समय परिवादिया कहती है कि उसने उक्त प्रकरण से संबंधित रिकार्डिंग की सी.डी. पूर्व में ही पेश कर दी थी। उसके उक्त प्रकरण में मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष कथन हुये थे। प्रदर्श पी– 7 के प्रत्येक पृष्ठ पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण में उसके द्वारा एस.पी. साहब अजमेर को लिखित शिकायत पेश की गई थी। र्जिस पर उक्त प्रकरण दज हुआ था, जो प्रदर्श पी– 8 है, जिस पर ए से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दस्तावेज उसका स्वयं का कलमी है। नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी– 4 हे, जिस पर ई से एफ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट होने के बाद पुलिस ने शंकर यादव के मकान के सामने नक्शा मौका प्रदर्श पी– 4 वर्ष 2015 में बनाया था। उक्त कार्यवाही का महीना अक्टूबर या नवंबर था। उक्त कार्यवाही के समय मौके पर उसकी मां, अंकल व पडौसी मौजूद थे।

13. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर गवाह कथन करती है कि अभियुक्तगण अनुसूचित जाति के थे। प्रदर्श पी–4 सितम्बर 2015 की घटना का

नक्शा मौका जिसकी रिपोर्ट उसने गांधीनगर थाने पर की परंतु तब प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। घटना स्थल से उसने फोन किया तो थाने के सिपाही भी आये थे जो लालीदेवी को पकड़कर ले गये परंतु शंकरलाल फरार हो गया। प्रदर्श पी–4 का झगडा सितम्बर 2015 में हुआ फिर कहा कि 2014 में समय दो ढाई बजे हुआ था और इसकी जानकारी उसने भाई यशपाल और पिता को दी थी। घासीराम जी को जानती नहीं हूं एक दो बार देखा है परंतु वह घटना के समय मौके पर नहीं थे। मारपीट में उसके हाथ उंगली व कंधे पर चोटें आयी और लाली ने कंधे पर डंडों से मारी थी जिससे उसके सूजन आयी और वह पुलिस वालों के साथ मेडिकल कराने भी गयी थी। सरिया लेकर लाली उसके पीछे दौडी थी जबकि शंकर ने उसके रोककर जाति सूचक गालियां दी। स्कूटी से गिरने वाली बात बतायी थी परंतु पुलिस कथन में क्यों नहीं लिखी उसे नहीं पता। स्कूटी को भी डंडे से पीटा था तो हैड लाइट टूट गयी थी। उसकी शादी 2011 में कुमकुम होटल में हुई थी जिसमें 80 हजार रूपये में होटल बुक किया था। परंतु इसे गलत बताती है कि पूरे पैसे नहीं चुकाये और इसी रंजिश के कारण झूठा मुकदमा कराया है।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों में से गवाह पी.डब्ल्यू– 3 धर्म चौहान ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि दिनांक 22.08.2012 को उसकी बहन अनिता, जो कि अंराई एन.जी.ओ. में काम करती थी, उस समय उनके घर आई हुई थी, जिसे छोडने के लिये वह अरांई गया। अनिता को वह अरांई छोडकर किशनगढ़ की तरफ वापस आ रहा था। वह चोसला के पास अपनी कार से लौट रहा था तो वहां शंकर यादव, राजेश जैन कार से आये और उसकी कार के आगे लगा दी। उन दोनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे गंदी–गंदी गालियां निकाल रहे थे। उन्होंने मुकेश शर्मा को भी बुला लिया। उसने अनिता को फोन करके बताया तो उस समय इन लोगों ने उसका फोन छीनकर अनिता को भी गालियां निकाली। अनिता ने यह बात अपनी मां को बताई तो अनिता की मां और उसका भाई यशपाल किशनगढ़ से चौसला आ गये और बीच बचाव कर उसे छुड़ाया। लडाई करने में शंकर का भाई कैलाश बाद में आया था। अनिता को छोडने आने की बात को लेकर उन्होंने मारपीट की।

Authenticated document

15. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर गवाह कथन करती है कि अनीता उसकी बहन है। मारपीट में मेरी अंगूली पर चोट आयी थी, सडक पर गिर गया था। दो लोगों ने दो चार मिनट तक मारपीट की पंरतु गाडी को नुकसान नहीं किया। उसने मुकदमा दर्ज नहीं कराया, मेडिकल नहीं कराया। घटना 22.08.2012 की है और इस प्रकरण के कथन वर्ष 2015–2016 मे हुए थे और उसे वृत्ताधिकारी ने थाने में बुलाया था। प्रदर्श डी–1 में चोट लगने व सड़क पर गिरने वाली बात नहीं लिखी और उसे याद भी नहीं है कि वृत्ताधिकारी को चाटा मारने वाली, चोट लगने वाली, व गिरने वाली बात बतायी हो फिर कहा कि बतायी थी। गाडी फोर्ड फिगों थी फिर कहता है कि फॉक्सवेगन थी जिनमें से कोई एक में आये होंगे उसने नम्बर नोट नहीं किये थे और अपनी गाडी के नम्बर व स्वयं का फोन नम्बर भी वृत्ताधिकारी को नहीं बताये थे। तत्समय वह रेलवे में अंडर ट्रेनिंग था। उसकी अभियुक्त से कोई रंजिश नहीं है और उसने पढकर कथनों पर अंग्रेजी में हस्ताक्षर किये थे परंतु प्रदर्श डी–1 पर हस्ताक्षर नहीं है और इसे भी गलत बताता है कि वृत्ताधिकारी को जो कथन दिये वह प्रदर्श डी–1 नहीं हों, उसके दिये गये कथन जिस पर उसने हस्ताक्षर किये वह हस्तलिखित कॉपी थी। प्रदर्श डी–1 में घटना का समय नहीं लिखा उसे याद नहीं कि हाथ मुक्कों से अभियुक्तगण ने कहां कहां मारी थी। इसे गलत बताता है कि प्रकरण को गंभीर बनाने के लिये उसे प्लान्ड किया गया हो।

16. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों में से गवाह पी.डब्ल्यू– 9 जगदीश सिंह ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि दिनांक 09.10.2015 को वह वृत्ताधिकारी वृत किशनगढ़ के पद पर कार्यरत था, उपरोक्त दिनांक को उसे थाना मदनगंज के प्रकरण संख्या 306/15, अंतर्गत धारा 323, 341, 500, 504, 354–डी आई.पी.सी. 3(1) (10) (11) एस.सी., एस.टी. एक्ट की पत्रावली अनुसंधान वास्ते प्राप्त हुयी। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान गवाह घासीराम, यशपाल, धर्म चौहान, अनिता वर्मा (पीडिता), शीला देवी, मदन लाल, रतन लाल, राम जोन, नरेन्द्र के पुलिस कथन उनके कहेनुसार लिये जाकर शामिल पत्रावली किये। नक्शामौका घटनास्थल प्रदर्श पी– 4 अनिता वर्मा की निशादेही से गवाह गोपाल सिंह, व शंकर लाल मौके पर नियमानुसार बनाया गया।

जिस पर ए से बी व सी से डी उपरोक्त गवाहान तथा ई से एफ अनिता तथा जी से एच उसके हस्ताक्षर है। पुश्त पर आई से जे भाग पर हालात मौका अंकित है। दौराने अनुसंधान पीडिता का जाति प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। पीडिता के बताने पर थाना मदनगंज से पीडिता द्वारा शंकर यादव के विरुद्ध पूर्व में पेश लिखित शिकायत व पीडिता के मेडिकल संबंधित दस्तावेज की प्रतिलिपियां प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। पीडिता के मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए कथनों की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। बाद अनुसंधान शंकर लाल, लाली देवी के विरूद्ध धारा 323, 341, 500, 504 आई.पी.सी. प्रमाणित पाये जाने के साक्ष्यों के आधार पर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट उनके द्वारा तैयार की जाकर उपरोक्त धाराओं में उक्त मुलजिमानों क विरूद्ध आदेश प्राप्त् करने हेतु एस.पी. साहब अजमेर को मय पत्रावली भिजवायी गयी थी, जिस पर उक्त मुलजिमानों के विरूद्ध उक्त धाराओ में चालानी आदेश देते हुए पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु सीधे ही थानाधिकारी मदनगंज को भिजवाते हुए सूचनार्थ प्रतिलिपि उनके कार्यालय में प्रेषित की गयी।

17. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर गवाह कथन करता है कि जो चश्मदीद ने घटना की ताईद की थी, इसलिये उसके द्वारा घटना प्रमाणित मानी गयी। इसे गलत बताया कि किसी गवाह ने मारपीट करना नहीं बताया हो ना ही मारपीट देखी हो ना ही मौके पर उपस्थित थै। इसे भी गलत बताया कि उसने माले को प्रमाणित करने के लिए गवाहों के नाम पते लेकर झूठे कथन लिखे हो। इसे सही बताया कि उसकी तफतीश में परिवादिया व उसकी बहन की शादी अभियुक्त शंकर के होटल कुमकुम में हुयी थी तथा शादी समारोह में तय की गयी राशि का विवाद था। इसे गलत बताया कि उक्त राशि नहीं देने की मंशा से उसने झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो। प्रदर्श पी– 4 रीडर का कलमी है। उक्त पर रीडर के हस्ताक्षर नहीं है बल्कि पीडित व गवाहान के है। आस–पडौस से तफतीश की लेकिन कोई कथन देने को तैयार नहीं हुआ।

18. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहों में से गवाह पी.डब्ल्यृ– 10 शीला देवी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि अनिता व ममता की शादी 2011 में हुई। ममता का ससुराल दिल्ली व अनिता का आबू रोड है। शंकर यादव व उसकी पत्नी लाली आये दिन मेरी लड़की अनिता का

पीछा करते है, अपशब्द कहते है, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते है। उनके घर से आने–जाने का रास्ता शंकर के घर के सामने से ही होकर था तो उसकी बेटी जब भी उनके घर के सामने से निकलती तो ये लोग अपशब्द कहते है, जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते है। 2010–11 की बात होंगी। ये उसकी बेटी के ससुराल फोन करते अंट–शंट बोलते, जिससे उसकी बेटी का रिश्ता खराब हो गया। 2012 में फैसला हो जाने के बाद से उसकी लडकी अनिता उसके पास ही रह रही है। गाली–गलौच करना, पीछा करना ये बातें तो आम थी इन लोगो ने उसकी लड़की के साथ दो बार मारपीट की। दोनी घटनाएं शंकर के घर के सामने की है। उसकी बच्ची की गाड़ी पर पत्थर डाल दिये और मारपीट करी। उसकी बेटी वहां से फोन करती तब हम वहा भागकर जाते तब यह सब पता चलता। ये लोग रोज–रोज उसकी बच्ची को इस तरह से परेशान करते थे।

19. अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर गवाह कथन करता है कि शंकर लाल व उसकी पत्नी द्वारा उसकी पुत्री को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने व गाली–गलौच करने की दिन, महीना व वर्ष उसे याद नहीं है, उसके पुलिस में कथन हुए थे, उसकी बच्ची ससुराल में कितने दिन रही थी, उसे याद नहीं है। उसकी लडकियों की शादी कुमकुम रिसार्ट में हुयी थी, इसे गलत बताया कि उसके सामने कोई लडाई–झगडा हुआ हो। प्रदर्श डी– 1 में उसके कथनों में उसकी मौजूदगी में मुलजिमानों ने जाति सूचक शब्दों व गाली–गलौच का अंकन नहीं है तथा मुख्य परीक्षण में भी नहीं है। एक बार शाम को मारपीट हुयी थी, जिस समय उसका पोता उसकी पुत्री के साथ था। अनिता की शादी में मैरिज गार्डन कितने में बुक किया, उसे याद नहीं है, परंतु 80 हजार या एक लाख रुपये में किया था। वह नहीं बता सकती की लाली देवी का उसकी पुत्री से किस बात का झगडा था परन्तु शंकर से विवाद शादी से पहले ही शुरू हो गया था, इसे सही बताया कि विवाद के बाद भी शंकर ने उसकी पुत्री के विवाह के लिए रिसोर्ट दे दिया क्योंकि पैसे दिये थे। यह नहीं बता सकती कि शंकर सिंह ने किस दिनांक को कौन से मोबाईल नंबर से उसकी बेटी के ससुराल वालों को फोन किया था, विवाह के बाद मात्र 2 दिन उसकी पुत्री ससुराल में रही थी। मुलजिमान का उनके घर आना जाना था, तथा उन्हें पता था

Authenticated document

कि वे अनुसूचित जाति के है, जबकि अभियुक्त यादव जाति के है अभियुक्त के बाप का भी आना जाना था अन्य सभी औपचारिक सुझावों से इनकार किया।

20. अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू– 12 अपने कथनों में कथन करता है कि दिनांक 09.10.2015 वह पुलिस थाना मदनगंज में एस.एच.ओ. के पद पर कार्यरत था। उपरोक्त दिनांक को एक लिखित शिकायत प्रार्थिया अनिता वर्मा पुत्री मुरलीधर वर्मा निवासी मदनगंज की एसपी साहब अजमेर को पेशशुदा दिनांक 28.09.2015 के एस.पी. साहब अजमेर के पत्रांक नं 1495 के मार्फत उसे प्राप्त हुई जिस पर उसके द्वारा मुकदमा 306/15 अन्तर्गत धारा 323 341 500 504 354 डी भारतीय दण्ड संहिता व 3 (1) (10) व (11) एस.सी./एस. टी एक्ट का दर्ज कर पत्रावली तप्तीश हेतु श्री जगदीश राव वृत्ताधिकारी वृत्त किशनगढ़ की सेवा में प्रेषित किया। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी–8 है जिसपर सी–डी कार्यवाहीं पुलिस का पृष्ठांकन व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी– 9 जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उक्त प्रकरण में 'बाद अनुसंधान अधिकारी श्री जगदीश राव वृताधिकारी वृत्त किशनगढ़ द्वारा आरोपी शंकर लाल व श्रीमती लाली देवी के विरूद्ध धारा 323, 341, 500, 504 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध प्रमाणित माना जिसके पश्चात नियमानुसार कार्यवाही करते हुए उसके द्वारा उपरोक्तानुसार न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। आरोप पत्र के सभी पृष्ठों पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

21. अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण किये जाने पर गवाह इसे सही बताता है कि उसके समक्ष परिवादिया ने स्वय कोई तहरीरी रिपोर्ट पेश नहीं की थी। प्रदर्श पी–8 पर पुलिस अधीक्षक महोदय का कोई पृष्ठांकन का नोट अंकित नहीं है। उसे प्रदर्श पी–8 में जी से एच भाग में अंकित दस्तावेज तहरीरी रिपोर्ट के साथ प्राप्त नहीं हुए थे। उसके द्वारा इस प्रकरण कोई प्राथमिक जांच अथवा अनुसंधान नहीं किया गया। उसके द्वारा प्रकरण में आरोप पत्र तैयार किया गया था, उसके द्वारा 354 भारतीय दण्ड संहिता व एस.सी./एस.टी. एक्ट कोई अपराध प्रमाणित नहीं पाया था। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी उस समय के उसके उच्च अधिकरारी थे। इसे गलत बताया कि अनुसंधान अधिकारी मेरे उच्चाधिकारी होने के कारण मेनें प्रकरण में उनके प्रभाव में आकर गलत चार्जशीट पेश की हो।

Authenticated document

22. अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पी.डब्ल्यू– 5 यशपाल जो परिवादिया का भाई है मुख्य परीक्षण में कहता है कि वर्ष 2016 की बात है वह भीलवाड़ा में काम करता था। अनीता की शादी वर्ष 11 मई को हुई उसके बाद उसका छुटकारा करा दिया था। तत्सतय अनीता राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में काम करती थी जिसका कार्यालय अरांई था। इंचार्ज कौन था नहीं पता। अभियुक्त जो आर्मी से रिटायर्ड था अनीता का पीछा करता था, क्यों करता था नहीं पता। उसके बाद अभियुक्त का भाई कैलाश अंराई आ गया। अभियुक्त अनीता को उल्टे सुल्टे काम करने के लिये दबाव डालता था और परेशान करता था। अभियुक्त के भाई और मां आये और उसके पापा से बात की उनको भी समझाया लेकिन फिर भी परेशान करते थे तो अनीता ने केस दर्ज करवा दिया। एक दिन अनीता उसके अर्थात गवाह के दो बच्चों के साथ आ रही थी तब लाली देवी ने मारपीट की और पुलिस आ गयी। गवाह पक्षद्रोही घोषित होने के बाद प्रदर्श पी–3 के विशिष्ट भाग ए लगायत एच को स्वीकार करता है जिसमे मुख्य रूप से सम्पूर्ण अभियोजन कहानी का विवरण है परंतु कहता है कि अनीता ने अभियुक्त शंकर की गलत हरकतों को कभी नहीं बताये जाने वाली बात नहीं बतायी थी बल्कि उसे स्वयं को बताया था। उसके कथन दिनांक 19.03.2016 को हुए थे। अभियुक्त की प्रति–परीक्षण में गवाह कहता है कि प्रदर्श पी–3 कथन वृत्ताधिकारी के यहां हुए और कथन टाईप नहीं थे उसे कथन सुनाये थे जिसमें पैसों की लेने देन वाली बात गलत लिखी है बाकी उसके कहे अनुसार लिखी है।

23. गवाह पी.डब्ल्यू 02 घासीराम अभियोजन की आरे परीक्षित हाने पर पक्षद्रोही घोषित हुआ था जिसने अपने पुलिस कथन से स्पष्ट इंकार किया है तथा कहता है कि उसने घटना नहीं देखी। अभियुक्त द्वारा प्रति–परीक्षण में भी कहता है कि उससे तो मात्र यही पूछा था कि मुरलीधर को जानते हो। गवाह पी.डब्ल्य 04 मुरलीधर जो परिवादीया का पिता है न्यायालय के समक्ष कथन करता है कि घटना 2016 की है। परिवादीया अनीता के साथ शंकर परेशान कर रहे थे और उसे कुछ नहीं पता है। उसके वृत्ताधिकारी ने कथन लिये थे। गवाह पक्षद्रोही घोषित हौने के बाद अभियोजन की प्रति–परीक्षण में कहता है कि पुलिस कथन प्रदर्श पी–02 का ए से बी, सी से डी व इ से एफ भाग जिसमें कि गवाह के बच्चों का, परिवादीया के पढे लिखे होने का, अभियुक्त के साथ परिवार के व परिवादीया के अच्छे संबंध हौने का व परिवादीया के

साथ हुई घटना के बारे में अनभिज्ञ होने का विवरण है, उसने पुलिस को बताया था। जी से एच भाग जिसमें कि परिवादीया का होटल में काम करने जाना अंकित है, के संदर्भ में कहता है कि मैंने पुलिस को नहीं बतायी थी परंतु अनीता के साथ शंकर ने तीन चार साल पहले गलत काम किया यह बात अनीता तथा उसकी पत्नी ने नहीं बतायी, को पुलिस को बतायी जाने को स्वीकार किया। दौराने अधिवक्ता अभियुक्त प्रति–परीक्षण गवाह कहता है कि अनीता समझदार थी और इसे गलत बताता है कि अनीता कहां जाती थी उसकी जानकारी में नहीं हो बल्कि ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। व्यवहार अच्छे थे कोई झगडा नहीं था और बाकी उसकी बच्ची ही बता पायेगी।

24. उपरोक्त के अतिरिक्त इसी प्रकार स्वतंत्र गवाह गोपाल सिंह पी.डब्ल्यू– 6 नक्शा मौका पर अपने हस्ताक्षर तो पहचानता है परंतु कथन करता है कि कार्यवाही में शंकर के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। पक्षद्रोही घोषित होने के उपरांत कार्यवाही के समय परिवादिया के उपस्थित होने के सुझाव को गलत बताता है तथा प्रति–परीक्षण के दौरान कथन करता है कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुयी थी।

25. गवाह पी.डब्ल्यू– 7 मदनलाल कहता है कि सात–आठ साल पहले दोहपर के समय शंकर व पांच–सात अन्य लोगों ने उसे पूर्व पार्षद होने से बुलाया था। शंकर लाल व मुरली जी की लडकी के बीच माथाफोडी हो गयी थी जिसका राजीनामा की लिखापढी हुयी थी, लेकिन उसमें क्या लिखा था, उसे मालूम नहीं, उसने हस्ताक्षर किये थे। पक्षद्रोही घोषित होने के उपरांत कथन करता है कि उसके सामने कोई घटना नहीं हुयी थी, उसने प्रदर्श पी– 5 पुलिस को नहीं बताया था। उसने सोचा कि छुटकारा हो रहा है, इसलिये बिना पढे ही हस्ताक्षर राजीनामें पर कर दिये थे।

26. इसी प्रकार गवाह पी.डब्ल्यू– 8 रतनलाल व पी.डब्ल्यू– 11 नरेन्द्र भी न्यायालय के समक्ष अपने कथनों में पक्षद्रोही घोषित होते हुए घटना की जानकारी से इनकार करते है।

27. न्यायालय द्वारा उपरोक्त का समग्र विवेचन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। ध्यान देने योग्य है कि निश्चत रूप से अभियोजन की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत **सैयद अहमद बनाम**

स्टेट आफ कर्नाटक, 2012(3) क्राईम 202 एस.सी. व भारभाडा भोगिन भाई हिरजी भाई बनाम स्टेट आफ गुजरात, ए.आई.आर 1983 एस.सी. 753 यह प्रतिपादित करते है कि घटना के पश्चात विचारण का समय अधिक होने तक यदि साक्षियों के कथनों में सूक्ष्म विरोधाभास आता है तो यह स्वभाविक ही है तथा इनके आधार पर दोषमुक्ति नहीं की जा सकती है परंतु न्यायालय के मत में यदि विरोधाभास गंभीर हो तो उक्त न्यायिक दृष्टांत अभियोजन को किसी प्रकार से कोई सहायता प्रदान नहीं करेंगे।

28. हस्तगत प्रकरण पर आयी साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जावे तो स्पष्ट है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब कारित किया गया है, परंतु प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार परिवादिया को निश्चत समय पर संबंधित थानाधिकारी द्वारा नहीं सुना गया। हालांकि विचारण के दौरान यह कारण भी संतोषजनक रूप से साबित नहीं किया गया है, न ही ऐसा कोई कारण ही स्पष्ट किया गया है कि परिवादिया के द्वारा थानाधिकारी की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न किये जाने के उपरांत विधिक उपचार प्रभाव में क्यों नहीं लाये गये। इस प्रकार न्यायालय के मत में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से दर्ज करायी गयी है एवं ऐसी स्थित में अभियोजन की साक्ष्यों की और गहनता से जांच किया जाना न्यायोचित है। तहरीरी रिपोर्ट में परिवादिया के द्वारा आरोपित घटना के अतिरिक्त उससे पूर्व की सभी घटनाक्रमों का उल्लेख किया गया है, जिससे परिवादिया द्वारा अपराध के मंतव्य/Motive बताया जाना चाहा गया है परंतु परिवादिया के कथन न्यायालय में हुए है, उसके दौरान परिवादिया ने अपने विस्तृत तहरीरी रिपोर्ट से भी बाहर जाकर सुधार करते हुए वीडियों क्लिप का उल्लेख करते हुए उसके साथ गलत काम करने के संबंध में कथन दिये है, जो कि उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट तक में अंकित नहीं है, जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट जिस प्रकार से लेखबद्ध की गयी है, यह नहीं कहा जा सकता है कि परिवादिया के पास संपूर्ण घटनाक्रम प्रस्तुत करने का कोई समुचित अवसर नहीं हो। इसी प्रकार परिवादिया के द्वारा कथनों का लोप भी किया गया है। परिवादिया के स्वयं के पिता परिवादिया कों पूर्णतया समर्थन नहीं देते है जबकि परिवादिया ने अपने कथनों में कथन किया है कि उसने पिता व भाई को सभी बातें बतायी थी, जबकि परिवादिया के पिता स्पष्ट कहते है कि उसे ऐसी बात नहीं बतायी।

Authenticated document

29. गवाह पी.डब्ल्यू– 2 जो कि कथित रूप से चक्षुदर्शी था, वह भी अपने कथनों के दौरान न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ है, जबकि गवाह पी.डब्ल्यू– 4 भी अपने कथनों में घटनाक्रम के संबंध में कोई कथन नहीं करता है एवं प्रति–परीक्षण के दौरान इसकी विश्वसनीयता भी सिद्ध नहीं होती है। प्रकरण का गवाह पी.डब्ल्यू– 5 यशपाल जो कि परिवादिया का भाई है, मौके पर नहीं था परतु कहता है कि परिवादिया जब उसके बच्चे अर्थात गवाह के दो बच्चों के साथ आ रही थी, तब परिवादिया के साथ मारपीट की, जबकि तहरीरी रिपोर्ट के अनुसार परिवादिया का एक भतीजा उसके साथ था, इस प्रकार स्पष्ट है कि घटना का सबसे महत्वपूर्ण गवाह उसका भतीजा हो सकता था, परंतु वह न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं हुआ है, जिसका कोई संतोषजनक कारण भी न्यायालय के समक्ष नहीं आया है।

30. प्रकरण में परिवादिया की माता पी.डब्ल्यू– 10 शीला देवी पक्षद्रोही घोषित नहीं हुयी है, परंतु वह भी अपने कथनों के दौरान न्यायालय के मत में विश्वास उत्पन्न करने में असफल ही रही है। यदि उसके कथनों को माना भी जावे तो जहां अभियुक्त ने उसकी पुत्रियों की शादी से पूर्व ही विवाद किया एवं उसकी पुत्री के अनुसार लैंगिग रूप से भी पूर्व में प्रताडित हो, ऐसे अभियुक्त के रिसोर्ट में अपनी पुत्रियों के विवाह का आयोजन कराया गया, इसका कोई संतोषजनक कारण न्यायालय के समक्ष नहीं आया है, जबकि पुलिस अनुसंधान में भी यह निष्कर्ष प्रमाणित माना गया था कि पक्षकारान के मध्य परिवादिया के विवाह के हिसाब–किताब को लेकर विवाद चला आ रहा है। न्यायालय के मत में परिवादिया द्वारा ही दी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं न्यायालय के समक्ष दिये गये सशपथ कथनों के मध्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर असंगति विद्यमान है, विशेष रूप से घटना के समय उपस्थित व्यक्तियों, घटना की जानकारी देने की परिस्थितयों तथा प्रत्यक्षदर्शियों के संबंध में साक्षियों के कथनों में सामंजस्य का अभाव पाया जाता है। इस प्रकार अभियोजन के समस्त साक्ष्य संदेह से परे कथन नहीं करते है।

31. उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए प्रकरण में आवश्यक साक्ष्यों का अभाव है, जिसके रहते हुए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाना सुरक्षित नहीं होगा। अतः साक्ष्यों के अभाव से उत्पन्न संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Authenticated document

-- <u>आदेश</u> --

32. अतः अभियुक्तगण 1. शंकर लाल पुत्र श्री प्रभाती लाल यादव, आयु– तत्समय 41 वर्ष, निवासी– अहीरों की ढाणी, आर.के. लिंक रोड, मदनगंज, 2. श्रीमती लाली देवी पत्नी श्री शंकर, आयु– तत्समय 40 वर्ष, निवासी– अहीरों की ढाणी, आर.के. लिंक रोड, मदनगंज को अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 500, 504 भारतीय दण्ड संहिता में साक्ष्य के अभाव में उत्पन्न संतोषजनक संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

33. अभियुक्तगण की नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त समझे जावे।

34. हस्तगत प्रकरण में कोई माल जब्त नहीं होने से उसके संदर्भ में पृथक से कोई आदेश किया जाना आवश्यक नहीं रह जाता है।

35. उक्त निर्णय की एक प्रति अविलंब ई–कोर्ट वेबसाईट पर अपलोड की जावे।

(जितेन्द्र रैया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या 1 किशनगढ़, अजमेर

36. यह निर्णय आज दिनांक 09.03.2026 को विवृत न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(जितेन्द्र रैया)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
संख्या 1 किशनगढ़, अजमेर

Authenticated document